संयुक्त शिक्षक मोर्चा संघ, जिला–मुंगेली

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली
जिला–मुंगेली,छ.ग.

विषयः– शिक्षकों की झूठी शिकायत पर कार्यवाही नही करने विषयक आवेदन पत्र।
संदर्भः– कराटे प्रशिक्षक चैतराम साहू द्वारा किये गए झूठी शिकायत के संदर्भ में।

------00------

महानुभाव,

उपरोक्त विषयांतर्गत सादर लेख है कि कराटे प्रशिक्षक चैतराम साहू द्वारा कलेक्टर मुंगेली के समक्ष लिखित शिकायत कर आरोप लगाया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण 2023–24 में शिक्षकों के द्वारा 56 लाख के बंदरबाट का गंभीर आरोप लगाया गया है। जिसमें मुख्य बिंदु निम्न है–

(1) **शासकीय शिक्षक रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण नही दे सक्ते है**
(2) **कुछ संस्था रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का पूरा पैसा प्रशिक्षकों को नही दिये है।**

उक्त आरोपो के विरुद्व शिक्षकों के पक्ष में निम्न बिंदु प्रस्तुत हैः–

(1) राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ, द्वितीय तल, एकीकृत शिक्षा भवन, पेशंनबाडा, रायपुर के प्रशासकीय आदेश क्/2965/SS/आत्मरक्षा प्रशिक्षण/2023–24 रायपुर दिनांक – 11/09/2023 उल्लेखित आवश्यक दिशा–निर्देश के क्. 1 से 18 **में यह कही भी उल्लेखित नही है कि कोई भी शासकीय कर्मचारी इस प्रशिक्षण को नही दे सक्ता है।**

साथ ही सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के किसी भी नियम के विरुद्व जाकर शासकीय स्कूलों के शिक्षकों ने उक्त प्रशिक्षण नही दिया है। बल्कि **नियम 16 – प्राईवेट कारोबार या नियोजन** के भाग 2 – **कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किये बिना** के **(ग) खेलकुद के कियाकलापों में अव्यवसायी के रुप में भाग ले सकेगा** से स्पष्ट है कि शासकीय स्कूलों के शिक्षक खेलकुद कियाकलापों में भाग ले सक्ते है।

(2) रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण 2023–24 में गुणवत्ताहीन प्रशिक्षण देने या कम अवधि का प्रशिक्षण देने के कारण कराटे प्रशिक्षकों को पूरी राशि का आहरण नही किया गया था। और उक्त राशि को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण मद में ही कराटे ड्रेस कय करना,फाईट के लिये आवश्यक सामाग्री **कय करना शाला प्रबंध समिति के अनुमोदन से** किया गया है। किसी भी शाला के द्वारा उक्त मद का अपव्यय नही किया गया है।

श्री चैतराम साहू द्वारा शासकीय स्कूलों के शिक्षकों पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद और फर्जी है अतः सभी शासकीय शिक्षकों को जारी नोटिस को वापस लेते हुए किसी भी प्रकार की कार्यवाही से मुक्त करने की. कृपा करेगे।

श्रीमान आपसे निवेदन है कि उक्त विषय में जांच कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक – 10/3/2025

दिनेश निर्मलकर जिलाध्यक्ष प्रधानपाठक संघ मुंगेली	**लक्ष्मीकांत जडेजा** जिलाध्यक्ष संयुक्त शिक्षक संघ मुंगेली	**भुपेन्द्र सिंह बंजारे** जिलाध्यक्ष सहायक शिक्षक फेडरेशन मुंगेली	**दीपक वेंताल** जिलाध्यक्ष शालेय शिक्षक संघ मुंगेली	**बलराज सिंह ठाकुर** (जिला उपाध्यक्ष) जिलाध्यक्ष छ.ग. टीचर एसोशिएसन मुंगेली
बलजीत सिंह कांत कार्यकारी जिलाध्यक्ष संयुक्त शिक्षक संघ मुंगेली	**नेमीचंद भास्कर** जिलाध्यक्ष संकुल समन्वयक संघ मुंगेली	मिलेन्द्र धृतलहरे	जिला प्रवक्ता संयुक्त शिक्षक संघ	

जिला शिक्षा अधिकारी
क्र.
दि. 10/03/25
जिला–मुंगेली(छ.ग.)

राज्य परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़

द्वितीय तल, एकीकृत शिक्षा भवन, पेंशनबाड़ा, रायपुर
टेलीफोननं. 0771–2420156 फैक्सनं. 0771–4283063 Email-rmsa.chhattisgarh@gmail.com

क्र./29657/SS/आत्मरक्षा प्रशिक्षण/2023–24 रायपुर दिनांक– 11/09/2023

प्रशासकीय आदेश

समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2023–24 अनुसार रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए तीन माह हेतु प्रति शाला 15000 रू. के मान से 12518 पूर्व माध्यमिक शाला के लिए राशि रू. 1877.70 लाख एवं 4575 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए राशि रू. 686.25 लाख, कुल 17093 विद्यालयों हेतु कुल राशि रू. 2563.95 लाख (शब्दों में राशि रू. पच्चीस करोड़ तिरसठ लाख पन्चानवें हजार रू. मात्र) रू. स्वीकृत है। पूर्व माध्यमिक शाला एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला को आहरण सीमा प्रदान करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है–

राशि रू. लाख में

Rani Laxmi Bai Atma Raksha Prashikshan : 2023-24

#	District	Elementary			Secondary			G-Total Sanction Amount
		Sanction School	Per School Rs.	Total Sanction Amount	Sanction School	Per School Rs.	Total Sanction Amount	
1	BALOD	395	0.15	59.25000	169	0.15	25.35000	84.60000
2	BALODABAZAR	449	0.15	67.35000	202	0.15	30.30000	97.65000
3	BALRAMPUR	521	0.15	78.15000	133	0.15	19.95000	98.10000
4	BASTER	594	0.15	89.10000	174	0.15	26.10000	115.20000
5	BEMETARA	376	0.15	56.40000	160	0.15	24.00000	80.40000
6	BIJAPUR	110	0.15	16.50000	52	0.15	7.80000	24.30000
7	BILASPUR	488	0.15	73.20000	218	0.15	32.70000	105.90000
8	DANTEWADA	160	0.15	24.00000	50	0.15	7.50000	31.50000
9	DHAMTARI	429	0.15	64.35000	168	0.15	25.20000	89.55000
10	DURG	333	0.15	49.95000	179	0.15	26.85000	76.80000
11	GARIABAND	425	0.15	63.75000	146	0.15	21.90000	85.65000
12	GPM	220	0.15	33.00000	66	0.15	9.90000	42.90000
13	JANJGIR - CHAMPA	394	0.15	59.10000	162	0.15	24.30000	83.40000
14	JASHPUR	440	0.15	66.00000	147	0.15	22.05000	88.05000
15	KANKER	597	0.15	89.55000	246	0.15	36.90000	126.45000
16	KAWARDHA	483	0.15	72.45000	152	0.15	22.80000	95.25000
17	KHAIRAGH-CHUI-GANDAI	179	0.15	26.85000	77	0.15	11.55000	38.40000
18	KONDAGAON	587	0.15	88.05000	161	0.15	24.15000	112.20000
19	KORBA	502	0.15	75.30000	181	0.15	27.15000	102.45000
20	KORIYA	161	0.15	24.15000	48	0.15	7.20000	31.35000
21	MAHASAMUND	475	0.15	71.25000	183	0.15	27.45000	98.70000
22	MANENDRA-CHIR.-BHARTPUR	238	0.15	35.70000	96	0.15	14.40000	50.10000
23	MOHLA-MANPUR-CHOWKI	200	0.15	30.00000	85	0.15	12.75000	42.75000
24	MUNGELI	265	0.15	39.75000	131	0.15	19.65000	59.40000
25	NARAYANPUR	98	0.15	14.70000	32	0.15	4.80000	19.50000
26	RAIGARH	616	0.15	92.40000	205	0.15	30.75000	123.15000
27	RAIPUR	440	0.15	66.00000	200	0.15	30.00000	96.00000
28	RAJNANDGAON	394	0.15	59.10000	165	0.15	24.75000	83.85000
29	SAKTI	344	0.15	51.60000	128	0.15	19.20000	70.80000
30	SARANGARH-BILAIGARH	410	0.15	61.50000	107	0.15	16.05000	77.55000

31	SUKMA	130	0.15	19.50000	39	0.15	5.85000	25.35000
32	SURAJPUR	532	0.15	79.80000	147	0.15	22.05000	101.85000
33	SURGUJA	533	0.15	79.95000	166	0.15	24.90000	104.85000
	Grand Total	**12518**		**1877.70000**	**4575**		**686.25000**	**2563.95000**

शब्दों में राशि रू. (पच्चीस करोड़ तिरसठ लाख पन्चानवें हजार रू. मात्र)

उक्त राशि निर्धारित आहरण सीमा के अंतर्गत PFMS के माध्यम से व्यय किया जाना सुनिश्चित करें एवं राशि रानी लक्ष्मीवाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण मद से विकलनीय होगा।

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित आवश्यक दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें–

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण 15 सितम्बर 2023 से 15 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाना है। शालाओं में 90 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाना होगा।

1. प्रशिक्षकों के चयन हेतु जिला स्तर पर चयन समिति का गठन कलेक्टर के अनुमोदन से किया जावे।
2. गठित चयन समिति के द्वारा प्रशिक्षकों का चयन किया जावे एवं उन्हें शाला आबंटित किया जावे।
3. जिले में स्वीकृत सभी शालाओं में प्रशिक्षण शत्प्रतिशत अनिवार्यतः कराया जावे।
4. प्रशिक्षकों का बैंक खाता संबंधी जानकारी अनिवार्यतः लिया जावे।
5. प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों की शालावार जानकारी दिये गये निर्धारित प्रपत्र अनुसार देवे।
6. चयनित प्रशिक्षकों द्वारा जुडो, कराटे, ताईक्वांडों, किंक बॉक्सिग, मार्शल आर्ट विधाओं में दक्ष खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण संपादित किया जाये।
7. प्रशिक्षण केन्द्र के लिए उचित व्यवस्था एवं प्रबंधन हेतु प्राचार्य/प्रधानपाठक को जिम्मेदारी दी जाये।
8. प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु रजिस्टर संधारित करेगें, तथा प्रतिदिन बालिकाओं की उपस्थिति अंकित किया जावे।
9. प्रति दिन प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 30 मिनट की होगी। प्रशिक्षण का समय संबंधित शाला के प्राचार्य/प्रधान पाठक तय करेंगें।
10. प्रशिक्षण हेतु प्रति शाला राशि रू. 15000.00 स्वीकृत है। शालाओं को आहरण सीमा जारी की जावे।
11. प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के भीतर कार्य दिवस के अनुसार प्रशिक्षक को भुगतान करना अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।
12. प्रशिक्षक को PFMS के माध्यम से शालाओं के प्राचार्य/प्रधान पाठक द्वारा भुगतान किया जाये।
13. प्रशिक्षण के दौरान बालिकाओं से किसी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी प्रशिक्षक द्वारा नहीं ली जा सकती।
14. महिला प्रशिक्षक अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश महिला प्रशिक्षक न हो तो संबंधित शाला के महिला शिक्षक की उपस्थिति में प्रशिक्षण शाला परिसर में ही कराया जाए।
15. प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन बालिकाओं की सुरक्षा हेतु प्रभारी शिक्षिका प्रशिक्षण प्रारंभ समय से समाप्ति तक रूकेंगे एवं सभी बालिकाओं के जाने के बाद ही प्रस्थान करेंगे।
16. पूर्व माध्यमिक शालाओं हेतु जिला मिशन समन्वयक एवं हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं हेतु जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण करेंगे एवं अपने अधिनस्थों को मॉनिटरिंग हेतु निर्देशित करेगें।
17. समग्र शिक्षा के ऑनलाईन पोर्टल में प्रतिदिन प्रशिक्षण कार्य जैसे– बच्चों की उपस्थिति, प्रशिक्षक की उपस्थिति आदि की जानकारी प्राचार्य/प्रधान पाठक द्वारा अनिवार्यतः प्रविष्ट किया जाये।

18. जिले द्वारा 90 दिवस के प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात एक सप्ताह के भीतर पालन प्रतिवेदन (फोटोग्राफ्स/पेपर कटिंग) सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य कार्यालय को अनिवार्यतः प्रेषित करें।

प्रबंध संचालक
समग्र शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ

पृ.क. 2566/SS/आत्मरक्षा प्रशिक्षण/2023–24 रायपुर, दिनांक 11/09/2023

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, जिला ....छ.ग. को सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, समग्र शिक्षा जिला पंचायत, जिला................ छ.ग. को सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, जिला .... छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं के लिए तत्काल आहरण सीमा जारी करें।
5. जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिला........................छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शालाओं के लिए तत्काल आहरण सीमा जारी करें।
6. संबंधित शाखा..................................... राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा को सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक
समग्र शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ

नियम 16**

प्राइवेट कारबार या नियोजन

(1) कोई शासकीय सेवक उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना-

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह कोई कारबार या व्यापार नहीं करेगा; या

(ख) कोई अन्य सेवा नहीं करेगा; या

(ग) किसी निकाय में, चाहे वह निगमित निकाय या अनिगमित निकाय हो, कोई पद धारण

* मप्र सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. सी-5-2/85/3/1, दिनांक 25-4-1986 द्वारा उपनियम (4) में खण्ड (1) में 75 के स्थान पर 200 और खण्ड (2) में 25 के स्थान पर 50, स्थापित किये गये।

** नियम 16 सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र.एफ-सी- 5-1-96-3-एक दि. 25-5-2000 द्वारा संशोधित।

नहीं करेगा या किसी नियोजन के लिए किसी अभ्यर्थी [illegible] अभ्यर्थिता के लिए प्रचार नहीं करेगा; या

(घ) अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वामित्व में के या उसके द्वारा प्रबंधित किसी बीमा अभिकर्ता, कमीशन अभिकर्ता आदि के किसी कारबार के समर्थन में प्रचार नहीं करेगा; या

(ङ) अपने पदीय कर्तव्यों के संबंध में के सिवाय किसी बैंक या किसी अन्य कंपनी के, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए स्थापित किसी सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में भाग नहीं लेगा।

(2) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किये बिना

(क) किसी भी सामाजिक या धार्मिक (अवैतनिक) प्रकृति के क्रियाकलापों में भाग ले सकेगा; या

(ख) किसी भी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति के यदा कदा होने वाले क्रियाकलापों में भाग ले सकेगा; या

(ग) खेल-कूद के क्रियाकलापों में अव्यावसायिक के रूप में भाग ले सकेगा; या

(घ) साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्त सोसाइटियों या क्लबों या किसी प्रकार के अन्य संगठनों (जिसमें कि कोई निर्वाचन पद धारण करना अन्तर्वलित न हो) रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में, जिसके कि लक्ष्य या उद्देश्य खेल क्रीड़ाओं से संबंधी क्रियाकलाप या सांस्कृतिक अथवा आमोद-प्रमोद की प्रकृति के ऐसे क्रियाकलापों का संवर्धन करना हो, संबंधित हो, और जो कि मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये गये हों भाग ले सकेगा; या

(ङ) किन्हीं ऐसी सहकारी सोसाइटियों के जो मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों और जो कि सारभूत रूप में शासकीय सेवकों के फायदे के लिए स्थापित की गई हों (जिसमें कोई निर्वाचन पद धारण करना अन्तर्वलित न हो) रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में भाग ले सकेगा :

परन्तु-

(एक) वह ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेना बन्द कर देगा, यदि शासन द्वारा उसे इस प्रकार निर्देशित किया गया हो; और

(दो) इस उप नियम के खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन आने वाले मामलों में, उसके पदीय कर्तव्य प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होंगे तथा वह ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने के पश्चात एक मास के भीतर उसके भाग लेने की प्रकृति का ब्यौरा देते हुए, शासन को रिपोर्ट भेजेगा।

(3) यदि किसी शासकीय सेवक के कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी कारबार या व्यापार में लगा हुआ है या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी बीमा कंपनी या कमीशन एजेन्सी का स्वामित्व रखता है तो उससे संबंध रखता है तो वह शासन को रिपोर्ट देगा;

(4) शासन के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, कोई भी शासकीय सेवक, किसी प्रायवेट संस्था या लोक निकाय या प्रायवेट व्यक्ति से उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के लिए, प्राधिकारी का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना, कोई निहित फीस स्वीकार नहीं करेगा;

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए शब्द "फीस" का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश फन्डामेन्टल रूल्स नियम 46 (ए) में उसके लिए दिया गया है।